अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2010

सा.का.नि. 479(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण.**—(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क शुल्क का निर्धारण तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार) संशोधन अधिनियम, 2010 कहा जाएगा ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क शुल्क का निर्धारण तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार) संशोधन अधिनियम, 2008 में निम्नलिखित पाद टिप्पणी को जोड़ा जाए, नामत: :—

"**पाद टिप्पणी** : मूल विनियमों को सं. सा. का. नि. 197(अ) दिनांक 19 मार्च, 2008 तथा तत्पश्चात् संशोधित सं. सा.का.नि. 801(अ), दिनांक 19 नवम्बर, 2008 को अधिसूचित किया गया था ।"

[फा. सं. एस-प्रशा./II/8/2009-खण्ड-I]

रतन पी. वातल, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2010

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Amendment Regulations, 2010.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Amendment Regulations, 2008, the following foot note shall be inserted, namely :—.

"**Foot Note** : Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 197 (E), dated 19th March, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 801 (E), dated 19th November, 2008."

[F. No. S-Admn/II/8/2009-Vol.-I]

RATAN P. WATAL, Secy.

IndiaCode